



राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

क्रमांक एफ.1 (1537)आ.उ./पीएडी अनु./से.नि./2021

दिनांक : 30.3.2021

आदेश

उद्योग विभाग के निम्नलिखित अराजपत्रित कर्मचारियों को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-5 में अंकित जन्मतिथि के आधार पर कॉलम संख्या-6 में अंकित दिनांक को मध्याह्न पश्चात से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है। सेवानिवृत्ति दिनांक को संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/जिला स्तरीय अधिकारी अपने स्तर से कार्यमुक्ति आदेश जारी करेंगे।

क्र.सं.	नाम	पदनाम	पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा	निजी सहायक	मुख्यालय, जयपुर	03.01.1962	31.01.2022
2	श्री अजीत कुमार सक्सेना	सहा.प्रशा. अधि.	मुख्यालय, जयपुर	15.01.1962	31.01.2022
3	श्रीमती बीना रानी गुप्ता	वरिष्ठ सहायक	जि.उ.के. अजमेर	05.01.1962	31.01.2022
4	श्री जीतमल अग्रवाल	निजी सहायक	जि.उ.के. चूरू	07.02.1962	28.02.2022
5	श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी	भार सहायक	जि.उ.के. कोटा	09.02.1962	28.02.2022
6	श्री फरहतुल्ला खॉ	सहा.प्रशा. अधि.	मुख्यालय, जयपुर	28.02.1962	28.02.2022
7	श्री गोविन्द सिंह	सहा.प्रशा. अधि.	जि.उ.के. भरतपुर	05.03.1962	31.03.2022
8	श्रीमती सोन कंवर	च0श्रे0 कर्मचारी	जि.उ.के. सीकर	02.04.1962	30.04.2022
9	श्री प्रेम सिंह रावत	वरिष्ठ सहायक	जि.उ.के. अजमेर	01.06.1962	31.05.2022
10	श्री अर्जुन सिंह भाटी	सहा.प्रशा. अधि.	जि.उ.के. सिरोही	28.06.1962	30.06.2022
11	श्री कालुराम	च0श्रे0 कर्मचारी	जि.उ.के. पाली	01.07.1962	30.06.2022
12	श्री मुबारिक अली	सहा.प्रशा. अधि.	जि.उ.के. झुन्झुनू	01.07.1962	30.06.2022
13	श्री देवी सहाय मौर्य	जमादार	मुख्यालय, जयपुर	03.06.1962	30.06.2022
14	श्री हुकम चन्द शर्मा	सहा.प्रशा. अधि.	जि.उ.के. सवाईमाधोपुर	31.07.1962	31.07.2022
15	श्री नागेश चन्द गुप्ता	सहा.प्रशा. अधि.	जि.उ.के. धौलपुर	01.08.1962	31.07.2022
16	श्री पदमाराम सालोदिया	वरिष्ठ सहायक	मुख्यालय, जयपुर	01.08.1962	31.07.2022
17	श्री सुरेन्द्र कुमार बोहरा	निजी सहायक	जि.उ.के. फलौदी	12.07.1962	31.07.2022
18	श्री चेताराम	सहा.प्रशा. अधि.	जि.उ.के. भरतपुर	15.08.1962	31.08.2022
19	श्रीमती मुक्ता माथुर	सहा.प्रशा. अधि.	जि.उ.के. जयपुर(शहर)	05.09.1962	30.09.2022
20	श्री नारायण लाल यादव	सहा.प्रशा. अधि.	जि.उ.के. डूंगरपुर	10.11.1962	30.11.2022

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.3.2015 के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्मिकों के विरुद्ध:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

उपरोक्त कर्मचारियों के राजकीय आवास में अधिवासित होने की स्थिति में सेवानिवृत्ति से दो माह के भीतर राजकीय आवास को रिक्त करना आवश्यक होगा।

(अर्चना सिंह)
आयुक्त, उद्योग

अ0टि0 क्रमांक एफ.1 (1537)आ.उ./पीएडी अनु./से.नि./2021

दिनांक 30.3.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राज0, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, उद्योग मुख्यालय, जयपुर।
3. अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, अजमेर/बीकानेर/कोटा/जोधपुर/उदयपुर/भरतपुर। एलीपी
4. **अति.** निदेशक, उद्योग (संस्थापन/सतर्कता/कम्प्यूटर) मुख्यालय, जयपुर।
5. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र (समस्त) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश में वर्णित कार्मिक के नाम, जन्मतिथि व सेवानिवृत्ति तिथि की जाँच संबंधित कार्मिक के सेवाभिलेख से कर लेवें, यदि कोई संशोधन अपेक्षित हो अथवा वर्ष 2022 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने वाले किसी कार्मिक का नाम इस आदेश में अंकित होने से रह गया हो, तो सूचना इस आदेश के जारी होने के 15 दिवस की अवधि में इस कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करायें ताकि अपेक्षित संशोधन जारी किया जा सके।
7. कोषाधिकारी, सचिवालय, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा प्रावधायी निधि विभाग, सचिवालय, जयपुर।
9. संबंधित कर्मचारी
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक, उद्योग
(प्रशासन)